

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2876

दिनांक 02-04-2016

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

### निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-


- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत लाइब्रेरियन एवं स्पोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति की जाये।
- जीवाजी विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ/महा.वि.प्र./2009/20 दिनांक 19.03.2013 (संलग्न पत्र 5) द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्तियां कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, किन्तु वर्तमान में शिक्षकों की नियुक्तियां शर्तानुसार दिनांक 19.03.2015 को दो वर्ष पूर्ण होने के कारण स्वतः समाप्त हो चुकी है। अतः वर्तमान में शिक्षकों एवं प्राचार्य की 28(17) परिनियम के अन्तर्गत करानी चाहिये। चूंकि महाविद्यालय नैक द्वारा 'बी' ग्रेड (2.42) प्राप्त कर चुका है जो कि 23 सितम्बर 2019 तक वैध है।
- महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस की इकाई की स्थापना की जाये।
- आगामी सत्र 2015-16 में एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार पुस्तकों की संख्या बढ़ायी जाये।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, प्रेस्टन कॉलेज, ग्वालियर।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्